...4 सदस्य

...10 लाख

...दबोचा

...र, मनीष सिंह प्रदीप
...शासी हरियाणा को
...न मेज दिया है।

...F CAVEAT
...M IT MAY
...ERN
...t. Ravishankar
...have issued an
...No.
...Adm./2024
...3/12/2024 and
...nvited from the
...ates for their
...the posts of
...ciate Professor &
...sors in various
...niversity.
...may be writ
...Ravishankar
...ity which are
...filed by any
...it may concern
...igh Court of
...at Bilaspur
...bove-mentioned
...rocesses and
...ioner (s) may
...relief/grant of

...informed to all
...persons that a
...on being filed by
...Shankar Shukla
...ur (C.G.) before
...f Chhattisgarh at
...ore; through this
...y person who
...enge the above-
...ction process
...University, is
...bout the Caveat
...advance copy
...to the Counsel
...hankar Shukla

...HOUBEY
...OR THE
...TOR/
...AR SHUKLA
...SITY
...07057

/उद्घोषणा/
रा.प्र.क्र...../अ-2/2024-25
ग्राम- झाफल, प.ह.नं. 37
तह. लोरमी

पक्षकार- श्रीमती धर्मेश्वरी बनाम छ.ग. शासन।

आवेदक श्री धर्मेश्वरी पति देवीसिंह राजपूत जाति राठौर, निवासी ग्राम झाफल, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली (छत्तीसगढ़) द्वारा अपने स्वतः के नाम पर ग्राम झाफल, प.ह.नं. 37 तहसील लोरमी, जिला मुंगेली स्थित भूमि ख.नं. 474 / 6, रकबा 0.020 हेक्टे. भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन किये जाने आवेदन पत्र बी-1, खसरा, नक्शा, बैनामा आधार कार्ड, किसान किताब, अधिकार अभिलेख एवं मिसल बंदोबस्त की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को इस न्यायालय में की जावेगी। अतः इस दिनांक को या उसके पूर्व आप अपनी दावा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहें तो निर्धारित तिथि तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

उपरोक्त उद्घोषणा आज दिनांक 01.01.2025 को पदमुद्रा से जारी की गई।

अनुविभागीय अधिकारी (सं.) लोरमी
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

अनुसार आवेदक श्री रामस्नेही निवासी मुंगेली द्वारा ग्राम मुंगेली 2 प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. मुंगेली(श.) तहसील मुंगेली स्थित अपनी भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 1146/33 रकबा 0.081 हेक्ट. का सीमांकन हेतु न्यायालय तहसीलदार मुंगेली के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय तहसीलदार के आदेशानुसार उक्त आवेदित खसरा का सीमांकन मौके पर दिनांक 06/01/2025 को 11:00 बजे किया जायेंगा।

अतः आप आवश्यक दस्तावेज के साथ स्थल पर उपस्थित रहें। सूचना उपरांत भी मौके पर अनुपस्थित रहने पर नियत तिथि को आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। सीमांकन के निर्धारित तिथि के पूर्व हितबद्ध पक्षकार अपना दावा/आपत्ति सक्षम न्यायालय में दर्ज करा सकता है।

प्रति,
1. श्री आनंद देवांगन
2. नगर पालिका मुंगेली
एवं समस्त अन्य हितबद्ध पक्षकार।

राजस्व निरीक्षक
मुंगेली(शहरी)

सोनी पिता श्री बलभद्र प्रसाद श्रीमती दीपराज उपाध्याय पिता श्री राम चन्द्र उपाध्याय फर्म से सेवानिवृत्त (रिटायर) हो गए हैं, व भागीदार श्रीमती गीता सोनी पति कमल सोनी, श्रीमती मुन्नी सोनी पति आनंद सोनी, श्रीमती ज्योति सोनी पति गिरधारी लाल सोनी, फर्म में सम्मिलित हो रहे है। इस प्रकार दिनाँक 01/04/2024 से हमारी फर्म में कुल 6 भागीदार है। जिनके नाम इस प्रकार है- श्री आनंद सोनी पिता श्री बृजमोहन सोनी, श्री कमल सोनी पिता श्री बृजमोहन सोनी, श्री गिरधारी लाल सोनी पिता श्री बृजमोहन सोनी, श्रीमती गीता सोनी पति कमल सोनी, श्रीमती मुन्नी सोनी पति आनंद सोनी, श्रीमती ज्योति सोनी पति गिरधारी लाल सोनी।

सभी सम्बंधित लोगों को सूचनार्थ पेपर प्रकाशित किया गया है।

दिनांक 04-01-2025

भवदीय
श्री कमल सोनी
मेसेर्स श्यामा कंस्ट्रक्शन्स,
श्याम कृपा, मारवाड़ी लाइन
बिलासपुर (छ.ग.)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
शाखाः बैकुंठपुर, जिला- कोरिया (छ.ग.)

Central Bank of India
Branch : Baikuntpur, Distt- Koria (C.G.)

परिशिष्ट-4 नियम-8 (1) कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

यतः

अधोहस्ताक्षरी ने जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 का अधिनियम के अधीन सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी हैं, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधार लेने वाले को निम्नलिखित तिथि को एक मांग नोटिस में उल्लेखित रकम तथा उस पर ब्याज उक्त नोटिस प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिदाय करने की मांग करने के लिए जारी की थी। उधार लेने वाले द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, उधार लेने वाले और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिनांक को इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधार लेने वाले को विशिष्ट रुप से और जनसाधारण को इसके द्वारा सावधान किया जाता है कि वह इस संपत्ति से संबंधित कोई व्यवहार न करें एवं यदि करता है तो वह निम्नलिखित देय धनराशि तथा उस पर देय ब्याज तथा व्यय के लिए **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार के अधीन होगा।**

देनदार का ध्यान रक्षित संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय हेतु अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/जमानतदार का नाम एवं पता	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की दिनांक/राशि
1.	श्री अनिल कुमार वर्मा, मेसर्स अमर ट्रक इंडस्ट्रीज का प्रोपराईटर पता- हरलापारा, बैकुंठपुर, कोरिया, छत्तीसगढ़-497335	**संपत्ति के मालिक- श्री अनिल कुमार वर्मा पुत्र श्री राधेश्याम वर्मा,** खसरा नं. 26/2, माप 0.024 हेक्टेयर, हरलापारा, पटवारी हल्का नं. 014, तहसील- बैकुंठपुर, ग्राम- बैकुंठपुर, जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़-497335. **चौहद्दीः उत्तर-** खसरा नं. 27 का भूमि, **दक्षिण-** ग्राम पंचायत सड़क, **पूरब-** विक्रेता का मकान, **पश्चिम-** विक्रेता की भूमि।	03.10.2024 ₹ 8,39,045.29 उस पर देय ब्याज तथा व्यय कब्जा लेने की तारीख 02.01.2025

दिनांकः 04.01.2025, स्थान- बैकुंठपुर (छ.ग.)

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

...सभी गुण एक ही क्रीम में